न्यायाधीश **के. कन्नन** *के समक्ष*

अनिल केवीएमएआर – याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य—प्रतिवादी

2001 की सीडब्ल्यूपी संख्या 10367

16 अप्रैल, 2012

भारत का संविधान, *1950* ~ कला, *226* - प्रबंध समिति की बैठक के कार्यवृत्त को रद्द करने के लिए निजी स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा दायर रिट याचिका - याचिकाकर्ता द्वारा कथित रूप से याचिकाकर्ता को निलंबित करने के संकल्प के खिलाफ व्यक्त करने वाले सदस्यों को हटाने के लिए समिति का पुनर्गठन - क्या रिट याचिका सुनवाई योग्य है - आयोजित किया गया, समिति की संरचना के कथित दुर्गुणों के लिए गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूल के प्रबंधन के खिलाफ एक हस्तक्षेप एक रिट याचिका में निर्णय के लिए नहीं - यदि - रिट याचिका खारिज कर दी गई।

यह माना जाता है कि मेरे विचार में, समिति की संरचना के कथित दुर्भावना के लिए एक गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूल के प्रबंधन के खिलाफ हस्तक्षेप एक रिट याचिका में निर्णय के लिए गैर-कानूनी मुद्दा नहीं होना चाहिए।

(पैरा 1, 1)

आगे आयोजित किया गया। यह तर्क दिया जा सकता है कि एक शैक्षणिक संस्थान जो एक बड़े सार्वजनिक हित को पूरा करता है और जो केंद्रीय और राज्य अधिनियमों के माध्यम से विनियमित होता है, उसे द्वारा निर्धारित कानून के अनुरूप होना चाहिए।

संविधियों और किसी भी वैधानिक उल्लंघन ने स्वयं संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च

न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप को जन्म दिया। यदि शिकायत की गई अधिनियम एक विशेष गतिविधि थी जिसका वैधानिक नियंत्रण था और इस तरह का निर्णय क़ानून के खिलाफ लिया जाता है, तो गलत होने की जांच करने में प्राधिकरण की विफलता ही एक रिट याचिका के माध्यम से हस्तक्षेप का औचित्य होगी। अपने मामलों का प्रबंधन करने के लिए जांच गठित करने का निर्णय लेने वाले समाज का केवल संकल्प अनुच्छेद 226 के तहत न्यायालय के निर्णय के लिए एक मुद्दा नहीं होना चाहिए।

(पैरा 13)

आगे यह भी कहा गया कि शिक्षा के क्षेत्र में लगी एक सोसायटी के विरुद्ध रिट याचिका के माध्यम से हस्तक्षेप जिसमें बड़ी संख्या में छात्र शामिल हों, ऐसी स्थितियों में होना चाहिए जहां पेटेंट अवैधता को अंजाम देने की अनुमति देने पर जनहित के लिए एक बड़ा खतरा होगा। मेरा मतलब कानूनी सिद्धांत के मामले के रूप में निर्धारित करना नहीं है जो निजी समाज के खिलाफ हर समय हस्तक्षेप को रोक देगा, क्योंकि यह मांगी गई राहत की प्रकृति और उत्तरदाताओं के खिलाफ विशेष कदाचार के आरोपों पर निर्भर करता है, जब तक कि जांच का गठन स्वयं जांच अधिकारी का गठन करने के लिए व्यक्ति की योग्यता की कमी से गंभीर रूप से त्रुटिपूर्ण नहीं था या जब जांच अधिकारी को नहीं कहा जा सकता था ऐसे जांच अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए एक सक्षम व्यक्ति होने के नाते या जहां जांच अधिकारी के समक्ष जांच की प्रगति किसी भी वैधानिक नुस्खे के उल्लंघन या प्राकृतिक न्याय के मानदंडों के उल्लंघन से दूषित होती है, वहां रिट याचिका के लिए चुनौती पर विचार करने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इस मामले में, यदि प्रबंध समिति ने जांच का अध्ययन करने का निर्णय बहुमत से लिया होता तो मुझे जांच को रोकने और यह मानने का कोई कारण नहीं मिलता कि जांच का आदेश नहीं दिया जा सकता था।

(पैरा 14)

राजीव आत्मा राम, वरिष्ठ अधिवक्ता निखिल चोपड़ा, अधिवक्ता अर्जुन प्रताप आत्मा राम, अधिवक्ता और सौरभ अरोड़ा, अधिवक्ता, याचिकाकर्ता के लिए।

क्षितिज शर्मा, एएजी, हरियाणा।

हर्ष अग्रवाल, एडवोकेट और असीम अग्रवाल, एडवोकेट, प्रतिवादी नंबर *2* के लिए।

राकेश खन्ना, विनय गर्ग के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता, अधिवक्ता, नरेश कुमार जोशी, एडवोकेट प्रतिवादी संख्या *4* और *8*।

के. कन्नन जे.

(1) रिट याचिका दिल्ली पब्लिक स्कूल सोसाइटी नामक तीसरे प्रतिवादी-सोसाइटी द्वारा संचालित दिल्ली पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल (निलंबन के तहत) के निर्देश पर है। समिति का प्रतिनिधित्व अध्यक्ष के माध्यम से किया जाता है और स्कूल की प्रबंध समिति को एक पार्टी के रूप में व्यवस्थित किया जाता है और अध्यक्ष के माध्यम से प्रतिनिधित्व किया जाता है। रिट याचिका में 20-06-2007 को आयोजित प्रबंध समिति के कार्यवृत्त को रद्द करने की प्रार्थना की गई है जिसमें 5 प्रतिवादी-सुश्री का गठन किया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति उषा मेहरा जांच अधिकारी के रूप में। "याचिकाकर्ता के अनुसार प्रबंध समिति का

एकमात्र निर्णय इस तथ्य से दूषित है कि समिति का पुनर्गठन कुछ सदस्यों को हटाने के बाद किया गया था, जिन्होंने पहले याचिकाकर्ता को निलंबित करने और जांच का गठन करने के प्रस्ताव के खिलाफ खुद को व्यक्त किया था। रिट याचिका का आधार यह है कि प्रबंध समिति का गठन अपने आप में खराब था और कहा गया कि 21.06.2007 को लिया गया निर्णय प्रबंध समिति की पैंतरेबाज़ी का परिणाम था। याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोपों की प्रकृति जिसने इस तरह के संकल्प को लाने के लिए जगह दी और उसी विषय वस्तु को छूने वाली पहले की रिट याचिकाएं प्रबंध समिति की संरचना के दुर्भावना के बारे में याचिकाकर्ता के आरोपों पर उचित विचार करने के लिए सामने लाई जानी आवश्यक हो जाएंगी।

(2) विशेष ट्यूशन कक्षाओं के लिए छात्रों से धन एकत्र करने में स्कूल की वित्तीय अनियमितताओं और कुप्रबंधन के बारे में माता-पिता की कुछ कथित शिकायतों के आधार पर, प्रबंध समिति द्वारा याचिकाकर्ता को उसके खिलाफ जांच के चिंतन में 29.03.2007 को निलंबित करने का निर्णय लिया गया था। इस संबंध में कार्यवाही शुरू की गई। पहला, पवार द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दायर एक वाद जिसमें यह तर्क दिया गया था कि निलंबन और विचारित जांच खराब थी। 2007 की सीडब्ल्यूपी संख्या 2598 में एक रिट याचिका याचिकाकर्ता के कहने पर दायर की गई थी, जिसमें हरियाणा शिक्षा अधिनियम, 1995 और हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम, 2003 के उल्लंघन में पारित निलंबन को चुनौती दी गई थी, जो हरियाणा राज्य में गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूल पर लागू होता है। 'मैं वह मुकदमा करता हूं और रिट याचिकाएं दोनों वापस ले ली गईं और याचिकाकर्ता द्वारा इस न्यायालय के समक्ष 2007 के सीडब्ल्यूपी संख्या 8855 में एक रिट याचिका दायर की गई। इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने दिनांक 31-05-2007 को निम्नलिखित के आधार पर मामले का निपटान कर दिया था

पार्टियों के बीच कुछ उपक्रम। न्यायालय ने इस तथ्य को दर्ज किया कि आरोप पत्र के साथ-साथ दस्तावेज, जिन पर प्रबंधन द्वारा भरोसा किया गया था, याचिकाकर्ता को प्रदान किया गया था और याचिकाकर्ता द्वारा 7 दिनों के भीतर आरोप पत्र का जवाब देने के बाद, उसे समाज के प्रबंधन के समक्ष रखा जाएगा ताकि यह विचार किया जा सके कि आरोप पत्र के आधार पर जांच का गठन किया जाना चाहिए या नहीं। यदि ऐसा निर्णय प्रबंध समिति द्वारा लिया जाना था, तो याचिकाकर्ता ने स्वीकार किया कि उसे प्रबंध समिति द्वारा पहले से नियुक्त जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने में कोई आपत्ति नहीं होगी। प्रबंध समिति द्वारा पारित आदेश को याचिकाकर्ता को सूचित किया जाना आवश्यक था और जांच अधिकारी सुनवाई की तारीख को भी सूचित करेगा ताकि वह अपनी उपस्थिति दर्ज करा सके।

(3) याचिकाकर्ता के अनुसार, 31.05.2007 को रिट याचिका के निपटान के बाद, सोसाइटी ने समिति की संरचना में हेरफेर करना शुरू कर दिया। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सहायक सचिव ने स्कूल के प्रबंधक को सूचित किया था कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा दिनांक 13062007 से प्रबंधन समिति में दो नए सदस्यों को नामित किया गया है। याचिकाकर्ता के अनुसार, प्रबंध समिति के कुछ अन्य सदस्यों को हटा दिया गया था और वे वही व्यक्ति थे, जिन्होंने पहले 07.04.2007 को हुई बैठक में याचिकाकर्ता के पक्ष में मतदान किया था। आर डी पवार नामक व्यक्ति ने दिनांक 26-02-2007 को हुई एक पूर्व बैठक में प्रबंध समिति की कार्रवाई पर सवाल उठाया था और एक असुविधाजनक व्यक्ति के रूप में समळाने के कारण उन्हें 07-04-2007 को हुई बैठक में भी भाग नहीं लेने दिया गया था और बाद में कहा गया था कि उन्हें निलंबित कर दिया गया था। श्री विराट सरीन, श्री आरके वशिष्ठ और डॉ मीना सिंह ने पहले 07.04.2007 की बैठक में याचिकाकर्ता का समर्थन किया था और उन्हें भी हटा दिया गया था। कुछ सदस्यों को हटाने की अवैधता के अलावा, कुछ सदस्यों को कार्यकाल से परे प्रबंध समिति के सदस्यों के रूप में अपने पदों पर बने रहने की अनुमति दी गई थी। जगबीर एस बधाना को लगातार दो कार्यकालों से अधिक समय तक प्रबंध समिति के सदस्य के रूप में पद पर बने रहने की अनुमति दी गई थी, इस तथ्य के बावजूद कि संबद्धता उपनियम 20 (3) के अनुसार केवल एक पदेन सदस्य दो साल से अधिक समय तक जारी रह सकता है, लेकिन वह न तो पदेन सदस्य था और न ही ट्रस्ट या सोसाइटी का सदस्य था। श्री आरके वशिष्ठ को दिनांक 13.06.2007 के आदेश द्वारा हटा दिया गया था और श्री विराट सरीन को मौखिक रूप से हटा दिया गया था। तीन सदस्यों, विराट सरीन, आरके वशिष्ठ और डॉ मीना सिंह को हटाने के बाद, 20.06.2007 को बैठक कार्यक्रम की घोषणा की गई। वहाँ
समिति को उन व्यक्तियों के साथ पैक करने के लिए एक ही समय में नए सदस्यों को शामिल किया गया था, जिन्हें आरोप-पत्र के खिलाफ याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए उत्तर पर विचार करने के लिए याचिकाकर्ता के खिलाफ निर्णय लेने के लिए राजी किया जा सकता था। नए मंत्रियों में एसएस चौधरी, नीरा शर्मा, अश्वनी आर्य और पवन कुमार शामिल हैं। याचिकाकर्ता को स्वयं नई समिति की संरचना के बारे में तब तक पता नहीं था जब तक कि प्रबंध समिति के कार्यवृत्त को 21.06.2007 को याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए उत्तर को अस्वीकार करने और आरोपों की जांच के लिए जांच अधिकारी के समक्ष मामले को सौंपने के लिए परिचालित नहीं किया गया था।

(4) कुछ व्यक्तियों को हटाने और नए व्यक्तियों को शामिल करने वाली समिति की नई संरचना इस न्यायालय द्वारा 2007 की सीडब्ल्यूपी संख्या 8855 में पारित आदेश को विफल करने के लिए थी। 14-03-2007 को सोसाइटी की कार्यसमिति की बैठक में यह संकल्प लिया गया था कि दिल्ली पब्लिक स्कूल, फरीदाबाद की प्रबंध समिति का पुनर्गठन सोसायटी के अध्यक्ष और दो उपाध्यक्षों के पूर्व अनुमोदन से ही किया जाएगा। ऐसी शक्ति की आड़ में कार्य करते हुए, सोसाइटी ने जानबूझकर उन व्यक्तियों के नाम चुने जिन्होंने याचिकाकर्ता के पक्ष में और अध्यक्ष के आदेश के खिलाफ मतदान किया था और उन्हें समिति से हटा दिया था। उपविधि द्वारा विचार किए गए पुनर्गठन के लिए अध्यक्ष और दो उपाध्यक्षों की सहमति की आवश्यकता थी, लेकिन कुछ सदस्यों को हटाने के बारे में उपाध्यक्षों को अवगत कराए बिना भी, कुछ सदस्यों को शामिल किया गया था ताकि याचिकाकर्ता को हटाया जा सके। याचिकाकर्ता का तर्क है कि आरके वशिष्ठ और डॉ. मीना सिंह को हटाया नहीं जा सकता था जब संबद्धता उपनियम 20 (3) ने एक कार्यकाल से आगे जारी रखने की अनुमति दी थी और वशिष्ठ और मीणा दोनों ने केवल पहला कार्यकाल पूरा किया था। श्री विराट सरीन ने पहला कार्यकाल भी पूरा नहीं किया था जब उन्हें हटाया गया था। वीआई चूहा सरीन को हटाने को उनके द्वारा 2007 की सीडब्ल्यूपी संख्या 9491 में चुनौती दी गई थी और इस न्यायालय ने 19.06.2007 के अंतरिम आदेश द्वारा विराट सरीन को 20.06.2007 को आयोजित बैठक में भाग लेने की अनुमति दी थी। परिणामस्वरूप, दिनांक 20-06-2007 को प्रबंध समिति की गणपूत को वास्तव में टीएचसीए (फिलामेंट बाय लॉ 20(1) के अंतर्गत 21 के निर्धारित कोरम के विरुद्ध बढ़ाकर 22 कर दिया गया था। बैठक के मिनट्स, जिसे रिट याचिका में शामिल किया गया है, से पता चलता है कि आरडी पवार और याचिकाकर्ता को गलत तरीके से हटा दिया गया था। याचिकाकर्ता प्रबंध समिति में अपना स्थान नहीं खो सकता था

जब तक कि उसे सेवा से नहीं हटाया गया था। यहां तक कि केवल निलंबन से प्रबंध समिति में उनका कार्यालय प्रभावित नहीं हो सकता था। याचिकाकर्ता को स्वयं दिनांक 20.06.2007 की बैठक के लिए नहीं बुलाया गया था।

(5) यहां तक कि याचिकाकर्ता द्वारा जवाब पर विचार करने के एजेंडा आइटम की जांच करने और जांच के साथ बने रहने के निर्णय के लिए समिति की कथित अवैध संरचना के अलावा। उपनियम 20 में कहा गया था कि याचिकाकर्ता को बैठक में भाग लेने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड संबंधन उप-नियमों में स्वयं ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति पर रोक नहीं लगाई गई है जिसके विरुद्ध कार्रवाई शुरू की जानी है। यदि याचिकाकर्ता को दूर रखा जा सकता है क्योंकि एजेंडे को अपने स्वयं के उत्तर पर विचार करने की आवश्यकता है, तो तर्क के उसी टोकन द्वारा 7 वें प्रतिवादी-लेफ्टिनेंट ने भी अपने उत्तर पर विचार किया। जनरल जेएस बावा, जो अध्यक्ष थे, बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते थे क्योंकि वह याचिकाकर्ता और उस व्यक्ति के खिलाफ प्रस्ताव के प्रमुख प्रस्तावक थे, जिसने उनके खिलाफ अवैध निलंबन लाया था।

(6) कहा जाता है कि 20-06-2007 को पारित किए गए अंतिम संकल्प में कई पेटेंट त्रुटियां थीं। एक, डा शारदा नायक, जिसे 21-06-2007 को तैयार किए गए कार्यवृत्त में संकल्प को अनुमोदन प्रदान करने के रूप में दर्शाया गया था, ने कार्यवृत्त तैयार करने के तरीके पर खुले तौर पर प्रश्न उठाया था। कार्यवृत्त पर आपत्तियों के माध्यम से यह बताया गया है कि याचिकाकर्ता के जवाब पर कोई विचार नहीं किया गया। जबकि उच्च न्यायालय के निर्देश में कहा गया था कि याचिकाकर्ता के जवाब पर प्रबंध समिति द्वारा विचार किया जाना था, जो मतदान के लिए रखा गया था वह यह था कि याचिकाकर्ता के जवाब पर चर्चा की जानी चाहिए या नहीं। याचिकाकर्ता को जांच अधिकारी, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति उषा मेहरा के समक्ष कार्यवाही करने के तरीके के बारे में भी कुछ आपत्तियां थीं। याचिकाकर्ता के अनुसार, उसका दिमाग पूर्वाग्रही था। जांच अधिकारी ने उच्च न्यायालय के दिनांक 31-05-2007 के निर्देश के अनुसरण में अंतिम निर्णय लिए जाने की आवश्यकता से पहले ही पारिश्रमिक का एक हिस्सा प्राप्त कर लिया था। जांच अधिकारी को शुल्क का भुगतान इस तथ्य पर जाए बिना कि जांच की जानी थी या नहीं और क्या प्रबंध समिति उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित तरीके से दिए गए उत्तर पर विचार करने के बाद इस तरह की कार्रवाई को मंजूरी देने जा रही थी, जांच के गठन के बारे में एक पूर्वनिर्धारित दिमाग दिखाया। याचिकाकर्ता दावा करेगा कि उसे पूरी कार्यवाही में कोई विश्वास नहीं है।

(7) उत्तरदाताओं में से, सचिव, शिक्षा विभाग के माध्यम से प्रतिनिधित्व करने वाली राज्य सरकार और सचिव के माध्यम से प्रतिनिधित्व करने वाले सीबीएसई को कोई स्वतंत्र लिखित बयान दर्ज नहीं किया गया है। इली प्रतिवादी संख्या 4, 7 और 8 अर्थात् प्रबंध समिति, लेफ्टिनेंट जनरल जेएस बावा, जो प्रबंध समिति के अध्यक्ष थे और नवनियुक्त प्रिंसिपल डॉ स्टालिन मल्होत्रा ने अकेले लिखित बयान दायर किया है और प्रतियोगिता मुख्य रूप से उनके कहने पर ली गई है। प्रतिवादी यह तर्क देंगे कि तथ्य यह है कि तीन व्यक्तियों विराट सरीन, आरके वशिष्ठ और मीना सिंह का कथित बहिष्कार इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने 07.04.2007 को हुई बैठक में याचिकाकर्ता का समर्थन किया था, यह गलत था। दूसरी ओर, प्रबंध समिति का

उनमें से दो अर्थात् वशिष्ठ और मीना सिंह को हटाने पर कोई नियंत्रण नहीं था, जिन्हें सीबीएसई द्वारा नामित किया गया था, जबकि विराट सरीन पीटीए के प्रतिनिधि थे। विराट सरीन ने प्रिंसिपल के रूप में याचिकाकर्ता के घोर कदाचार के खिलाफ प्रबंध समिति को कई अभ्यावेदन दिए थे। संबद्धता उपनियम 20(2)(बी)(ii) के लिए आवश्यक है कि प्रबंध समिति का सदस्य बनने के लिए एक व्यक्ति को स्कूल में छात्र का अभिभावक होना चाहिए (लिखित बयान के अनुसार रेखांकित किया गया है) और चूंकि उनके बेटे वरुण सरीन ने मई, 2006 में 10 + 2 की परीक्षा पूरी करने के बाद स्कूल से पढ़ाई की थी, इसलिए प्रबंध समिति के सदस्य के रूप में विराट सरीन का कार्यकाल खाली हो गया था। छात्र के माता-पिता के रूप में स्थिति के साथ सह-टर्मिनस होने के नाते, जो स्कूल से बाहर निकल गया था। उनकी ओर से गठित समिति द्वारा यथा संस्तुत श्रेणीवार ड्रा के माध्यम से 07-05-2007 को एक नए पीटीए का गठन किया गया था और दिनांक 08-05-2007 के संकल्प के तहत नई गठित समिति ने प्रबंधन समिति में दो स्कैट्स को ग्रहण करने के लिए दो सदस्यों नामत अश्विनी आर्य और पवन कुमार को पीटीए प्रतिनिधियों के रूप में चुना था।

(8) 'इली प्रतिवादी यह तर्क देगा कि याचिकाकर्ता ने समिति के गठन को हराने और देरी करने और आरोपों की जांच के लिए कई मुकदमे और रिट याचिकाएं दायर करने के लिए इंजीनियर किया है। मैंने मूल रूप से डॉ. आर. डी. पवार के कहने पर 2007 के सीएस नंबर 498 में मुकदमा दायर किया था। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने 2007 की सीडब्ल्यूपी संख्या 2598 दायर की, जिसे बाद में वापस ले लिया गया के रूप में खारिज कर दिया गया। 2007 की सीडब्ल्यूपी संख्या 8855 पीसीटीआईटीआईएनसीआर द्वारा दायर की गई थी, जिसके संदर्भ में अकेले 20.06.2007 की आक्षेपित बैठक और संकल्प पारित किए गए थे। विराट सरीन ने 2007 की सीडब्ल्यूपी संख्या 9491 दायर की थी और लिखित बयान दाखिल करने के समय, उक्त रिट याचिका दायर की थी
लंबित भी था। याचिकाकर्ता इन सभी कार्यवाहियों के दौरान व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित था, जिसमें विराट सरीन द्वारा दायर मामला भी शामिल था। याचिकाकर्ता की यह समझ कि कई व्यक्तियों को प्रबंध समिति से केवल इसलिए बाहर रखा गया था क्योंकि उन्होंने पहले उसके पक्ष में मतदान किया था, स्पष्ट रूप से गलत था। प्रतिवादी तर्क देंगे कि विवेक सूरी, एनके वैद और श्री सुनील गांधी ने वास्तव में याचिकाकर्ता को निलंबित करने के लिए 07.04.2007 को पहले ही लिए गए निर्णय को मंजूरी दे दी थी। याचिकाकर्ता के निलंबन और उसके खिलाफ आरोप पत्र जारी करने के प्रस्ताव के लिए शोवना नारायण और डॉ शारदा नायक द्वारा लिखित सहमति भी दी गई थी। वशिष्ठ और मीना सिंह ने वास्तव में तीन साल का कार्यकाल पूरा कर लिया था और उन्हें सीबीएसई द्वारा सुश्री नीरा शर्मा और श्री एसएस चौधरी द्वारा उपनियम 20 (3) के अनुसार प्रतिस्थापित किया गया था जो तीन साल की अवधि के लिए अवधि का परिसीमन करता है। किसी भी स्थिति में, सीबीएसई नामांकित व्यक्तियों का कार्यकाल सीबीएसई के अधिकार पर था और प्रबंध समिति उसी के संबंध में कोई हेरफेर नहीं कर सकती थी, जैसा कि याचिकाकर्ता द्वारा तर्क दिया गया है।

(9) आरडी पवार के बहिष्कार से संबंधित परिस्थितियों पर मुद्दों को शामिल करते हुए, उत्तरदाताओं का तर्क होगा कि उन्होंने सबसे अनियंत्रित तरीके से व्यवहार किया था जैसा कि प्रबंध समिति के कार्यवृत्त के रिकॉर्ड से पता चलता है। आर.डी. पवार का निलंबन सीडब्ल्यूपी

संख्या 8855 ऑफ 2007 में अदालत के फैसले से पहले ही लिया गया था। यहां तक कि याचिकाकर्ता का यह तर्क भी सही नहीं है कि विराट सरीन, वशिष्ठ और मीना सिंह ने याचिकाकर्ता के पक्ष में मतदान किया था। विराट सरीन ने दिनांक 07.04.2007 की बैठक के कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर नहीं किए और आरके वशिष्ठ और मीना सिंह ने वास्तव में कार्यवृत्त को मंजूरी दी थी और याचिकाकर्ता और आरडी पवार के खिलाफ की गई कार्रवाई का समर्थन किया था। याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्रवाई का अनुमोदन करने वाली दिनांक 26.02.2007 की बैठक के कार्यवृत्त को प्रतिवादियों द्वारा अनुबंध R-4, 7 और 8WIII के रूप में दायर किया गया है

(10) जहां तक 9 वें प्रतिवादी जगबीर एस. भड़ाना की उपस्थिति का संबंध है, यह तर्क दिया जाता है कि वह पीटीए के निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में प्रबंध समिति के सदस्य थे और उपनियम 20 (2) (बी) (ii) के संदर्भ में पदेन सदस्य थे। इसके बाद उन्हें प्रबंध समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया और इस तरह जारी रखा गया। उप-कानून के तहत केवल एक ही क्षमता में लगातार दो से अधिक कार्यकाल के लिए एक सदस्य के पुनर्नामांकन पर रोक लगाई जा सकती है। उपनियम 20(3) के तहत बनाए गए अपवाद से पता चलता है कि पुन: के खिलाफ पुनर्निर्माण -

नामांकन केवल खंड (i) (iv) और (vi) पर लागू होता है और उस व्यक्ति पर नहीं, जिसने बाय लॉ 20 (2) (बी) (ii) के तहत विदेशी मुद्रा अधिकारी सदस्य की क्षमता को पूरा किया हो। उत्तरदाताओं द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि रिट याचिका स्वयं सुनवाई योग्य नहीं है। चूंकि तीसरी प्रतिवादी सोसायटी एक गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूल है, इसलिए प्रबंध समिति द्वारा लिए गए निर्णय रिट याचिका के माध्यम से न्यायालय के समक्ष विवाद का विषय नहीं हो सकते।

(11) रिट याचिका की विचारणीयता के मुद्दे को प्रारंभिक आपत्ति के रूप में लेने के लिए, याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान वरिष्ठ वकील यह तर्क देंगे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के बहुत बाद आपत्ति को उठाया जा रहा था जब जांच अधिकारी के समक्ष कार्यवाही शुरू होने को चुनौती दी गई थी जब सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपीएनओ में एक आदेश पारित किया था। (ख) दिनांक 15-12-2009 को वर्ष 2008 की रिट याचिका सं 10543 के तहत एक अधिसूचना सं 10543 जारी की गई है। उच्चतम न्यायालय ने विशेष रूप से निदेश दिया था कि इस न्यायालय को जांच रिपोर्ट के परिणाम के संदर्भ के बिना समिति की संरचना और निर्णय की वैधता की जांच करनी चाहिए। यदि रिट याचिका की विचारणीयता के संबंध में कोई आपत्ति थी, तो उत्तरदाताओं को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आपत्ति लेनी चाहिए थी और निपटान के लिए सर्वोच्च न्यायालय से निर्देश मिलने के बाद इसे नहीं ले सकते। मेरे विचार में, समिति की संरचना के कथित दुर्गुणों के लिए एक गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूल के प्रबंधन के खिलाफ हस्तक्षेप को रिट याचिका में निर्णय के लिए बिल्कुल भी मुद्दा नहीं होना चाहिए। इस रिट याचिका में आपत्तियां तीन सदस्यों के बहिष्करण और 9 वें प्रतिवादी के समिति के सदस्य के रूप में बने रहने से संबंधित हैं, जिसके परिणामस्वरूप एक समिति की संरचना हुई जो अप्रचलित थी और परिणामस्वरूप इसके द्वारा लिया गया तर्क दूषित हो गया है। जहां तक उनमें से कम से कम दो का संबंध है जो सीबीएसई के नामिती थे, मैं नहीं पाता कि तीसरे प्रतिवादी-सोसाइटी की इसमें कोई भूमिका हो सकती थी। जहां तक पीटीए प्रतिनिधि को हटाने का संबंध है, उन्होंने स्वयं रिट

याचिका दायर की है और यह लंबित बताई गई है। अकेले 9 वें प्रतिवादी की निरंतरता इस बात पर विचार करने का विषय होगा कि क्या वह जारी रख सकता था या नहीं। इनमें से किसी भी मुद्दे में कोई सार्वजनिक कानून शामिल नहीं है और यदि उत्तरदाताओं ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रिट याचिका की विचारणीयता के बारे में आपत्ति नहीं ली, तो यह निश्चित रूप से ऐसा अवसर नहीं था जहां उत्तरदाताओं ने उस आपत्ति को लिया हो। "प्रतिवादी स्वयं सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मामला दायर नहीं कर रहे थे, लेकिन यह याचिकाकर्ता था, जिसने इस रिट याचिका में इस अदालत द्वारा दिए गए अंतरिम निर्देश को चुनौती दी थी

जांच अधिकारी द्वारा जांच के समापन के बाद पक्षकारों को न्यायालय में जाने की अनुमति देना और सोसाइटी को एक प्रमुख के पद को एक अटर्म उपाय के रूप में भरने की अनुमति देना। समाज को दोनों निर्देशों द्वारा किसी भी तरह से व्यथित नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि यह उनके दोनों कृत्यों पर अनुकूल विचार करने में सक्षम था, अर्थात, जांच अधिकारी के माध्यम से जांच जारी रखने और रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान प्रिंसिपल के पद को भरने के लिए। वे इस स्तर पर रिट याचिका की संस्था के माध्यम से किसी भी बंधन से नहीं आए थे और इसलिए, समाज के खिलाफ रिट याचिका की विचारणीयता केवल उचित स्तर पर ही ली जा सकती थी जब रिट याचिका को रोक दिया गया था।

(12) याचिकाकर्ता की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ वकील ने रवएनसीटी कौर बनाम क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, लुधियाना (1) **में इस न्यायालय की पांच सदस्यीय पीठ के फैसले पर** कहा, जहां इस न्यायालय ने कहा कि राज्य या उसके साधन के रिटों की अनुरक्षणीयता के बारे में रूढ़िवादी दृष्टिकोण एक उदार अर्थ दे रहा था और अनुच्छेद 226 के तहत शक्ति अब वैधानिक निकायों और उपकरणों के खिलाफ रिट के मुद्दे तक ही सीमित नहीं थी केवल राज्यों की संख्या। "अभिव्यक्ति किसी भी अन्य व्यक्ति या सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन करने वाले निकाय" में राज्य के प्रयास को पूरक करने वाला कॉलेज भी शामिल होगा और उस उद्देश्य के लिए उत्तरदायी होगा। न तो संविधान की भाषा और न ही समाज की वर्तमान आवश्यकताएं न्यायालयों के अधीक्षण से सार्वजनिक कर्तव्यों को पूरा करने वाले निकायों को छूट देने की अनुमति देंगी। यह न्यायालय **कविता बनाम दया नंद मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, लुधियाना (2)** में प्रवेश के मामलों में रिट अगाई एनएसटी सहायता प्राप्त कॉलेजों की विचारणीयता के मुद्दे की जांच कर रहा था।फिर से इस न्यायालय की पांच सदस्यीय पीठ ने माना कि एक निजी मेडिकल कॉलेज के खिलाफ रिट याचिका की विचारणीयता के संबंध में विवाद पहले ही **रवनीत कौरिस** मामले (सुप्रा) में दिए गए अपने पिछले निर्णय से समाप्त हो चुका था।

(13) शायद यह तर्क दिया जा सकता है कि एक शैक्षणिक संस्थान जो एक बड़े सार्वजनिक हित को पूरा करता है और जिसे केंद्रीय और राज्य अधिनियमों के माध्यम से विनियमित किया जाता है, उसे कानूनों द्वारा निर्धारित कानून के अनुरूप होना पड़ता है और किसी भी वैधानिक उल्लंघन से संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है। यदि शिकायत की गई अधिनियम एक विशेष गतिविधि थी जिसका वैधानिक नियंत्रण था और ऐसा निर्णय लिया जाता है (1) 1997 (3) एससीटी 210 (2) 1998 (3) एससीटी 51

क़ानून के खिलाफ, फिर गलत के कमीशन की जांच करने के लिए प्राधिकरण की विफलता एक रिट याचिका के माध्यम से हस्तक्षेप के लिए औचित्य होगी। उदाहरण के लिए, यहां तक कि एक निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूल को भी शिक्षक की सेवाओं को समाप्त करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है और यदि कोई कानून भी सार्वजनिक प्राधिकरण से मंजूरी का प्रावधान करता है लेकिन समाप्ति ऐसे वैधानिक नियंत्रण के संदर्भ के बिना प्रभावी होती है, तो कानून का उल्लंघन और एक प्रक्रिया का पालन करने में विफलता जैसा कि क़ानून में

परिकल्पना की गई है, प्रबंधन निर्णय के खिलाफ एक रिट याचिका के माध्यम से हस्तक्षेप संभव होगा। अपने मामलों का प्रबंधन करने के लिए जांच गठित करने का निर्णय लेने वाले समाज का केवल संकल्प अनुच्छेद 226 के तहत न्यायालय के निर्णय के लिए एक मुद्दा नहीं होना चाहिए। यदि यह तर्क दिया जाए कि कुछ सदस्यों को जानबूझकर समाज के मामलों के शीर्ष पर व्यक्तियों के दुर्भावनापूर्ण आचरण द्वारा हटाया गया था, तो दुर्भावना को स्थापित करने के लिए उचित साक्ष्य की आवश्यकता होगी। इस मामले में एक अभिभावक-शिक्षक प्रतिनिधि श्री सरीन को इस तथ्य से समाज से हटा दिया गया है कि उन्होंने याचिकाकर्ता का समर्थन किया था। दूसरी ओर, यह देखा गया है कि उन्होंने याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रबंधन समिति को पहले अभ्यावेदन दिया था। उत्तरदाताओं द्वारा इसका विज्ञापन करते हुए दस्तावेज दायर किए गए हैं। जहां तक दो अन्य सदस्यों, जो केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा नाम-निर्देशित सदस्य थे, को बाहर करने के संबंध में उन्होंने स्वयं अपने निष्कासन को चुनौती नहीं दी है। दो अन्य सदस्यों को हटाने के बाद सीबीएसई को नए सदस्यों को नामित करने के लिए किसने प्रेरित किया, सीबीएसई प्रबंधन के माध्यम से मौखिक साक्ष्य के लिए एक मुद्दा होना चाहिए था, अगर किसी प्रेरणा या मिलीभगत को उनके लिए जिम्मेदार ठहराया जाना था। अन्यथा, मैंने दो नए नामितियों के साथ दो को विस्थापित कर दिया था, याचिकाकर्ता के पास ऐसा मामला नहीं हो सकता है कि प्रबंध समिति की कोई भूमिका थी। एक सदस्य ने कैसे व्यवहार किया होगा यदि उसे जारी रखने की अनुमति दी गई थी, यह विशुद्ध रूप से अनुमान होगा।

(14) शिक्षा के क्षेत्र में लगी एक सोसायटी के खिलाफ एक रिट याचिका के माध्यम से हस्तक्षेप जिसमें बड़ी संख्या में छात्र शामिल हैं, उन स्थितियों में होना चाहिए जहां सार्वजनिक हित के लिए एक बड़ा खतरा होगा यदि एक पेटेंट अवैधता को अंजाम देने की अनुमति दी जाती है। 1 का मतलब कानूनी सिद्धांत के मामले के रूप में निर्धारित करना नहीं है जो निजी समाज के खिलाफ हर समय हस्तक्षेप को रोक देगा, क्योंकि यह मांगी गई राहत की प्रकृति और उत्तरदाताओं के खिलाफ विशेष कदाचार के आरोपों पर निर्भर करता है। यदि रिट याचिका में एक प्रस्ताव पारित करने के लिए एक चुनौती शामिल थी। मैं अभी भी इसे उस शरारत के दायरे के संदर्भ में देखूंगा जो होने की संभावना है

यदि ऐसा कोई संकल्प पारित किया जाना था। इस मामले में जब दोनों पक्ष इस न्यायालय के समक्ष पहले की रिट याचिका में सहमत हुए कि याचिकाकर्ता को लगाए गए आरोप-पत्र का जवाब दाखिल करने का अधिकार होगा और प्रबंध समिति इस बात पर निर्णय लेगी कि जांच का गठन किया जाना चाहिए या नहीं, तो मैं यह कहूंगा कि जब तक जांच का गठन स्वयं जांच अधिकारी का गठन करने के लिए व्यक्ति की योग्यता की कमी के कारण गंभीर रूप से त्रुटिपूर्ण नहीं था या जब जांच अधिकारी को ऐसे जांच अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम व्यक्ति नहीं कहा जा सकता है या जहां जांच अधिकारी के समक्ष जांच की प्रगति किसी भी आकस्मिक वैधानिक नुस्खे के उल्लंघन या प्राकृतिक न्याय के दोपहरों के उल्लंघन से दूषित होती है, वहां रिट याचिका के लिए एक चुनौती के लिए मनोरंजन के लिए ^ गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इस मामले में, यदि प्रबंध समिति ने जांच का अध्ययन करने का निर्णय बहुमत से लिया होता तो मुझे जांच को रोकने और यह मानने का कोई कारण नहीं मिलता कि जांच का आदेश

नहीं दिया जा सकता था।

(15) रिट याचिका के बाद हुई घटनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। रिट याचिका के शुरू होने और जांच अधिकारी के गठन के बाद, जांच अधिकारी ने जांच करने के लिए आगे बढ़ा है, जहां याचिकाकर्ता की पूर्ण पैमाने पर भागीदारी रही है और रिपोर्ट भी तैयार की गई है और अदालत में दायर की गई है। वर्तमान मामले में सामने आने के बाद दो परिस्थितियों की परिकल्पना की जा सकती है। एक, अगर रिपोर्ट ने याचिकाकर्ता को दोषमुक्त कर दिया था, तो जांच के संविधान को भी याचिकाकर्ता को पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि वह अंततः बेदाग आता है। दूसरी स्थिति तब हो सकती है जब याचिकाकर्ता को दोषी पाया जा सकता है और याचिकाकर्ता यह तर्क देना चाहता है कि जांच का गठन नहीं किया जाना चाहिए था। किसी व्यक्ति के लिए ऐसी स्थिति में तकनीकीताओं को उठाना घोर अनुचित और अन्यायपूर्ण होगा जहां एक पूर्ण जांच से व्यक्ति के खिलाफ अपराध का पता चलता है। ऐसे व्यक्ति के लिए यह तर्क देना कि जांच का गठन नहीं किया जाना चाहिए था, अर्थहीन होगा। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि इस न्यायालय का निर्णय जांच अधिकारी की रिपोर्ट के संदर्भ के बिना दिया जाएगा। मुझे इस बात की जरा भी जानकारी नहीं है कि जांच अधिकारी की रिपोर्ट में क्या कहा गया है। मैं केवल जांच अधिकारी द्वारा उसे दोषी न पाए जाने या उसे दोषी पाए जाने की किसी भी स्थिति की संभावना को सामने लाने की कोशिश कर रहा हूं, इस स्तर पर याचिकाकर्ता के पक्ष में न्यायिक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

(16) चुनौती के लिए लिए लिया गया आधार वे खुद चाप परिधीय हैं। यदि मुद्दे का सार प्रबंध समिति की संरचना है, तो मैं पाऊंगा कि सीबीएसई के दो नामित सदस्य, जिन्हें अन्य दो के एक समूह द्वारा विस्थापित किया गया था, स्थिति को बदल नहीं सकते थे, क्योंकि नामितियों से सीबीएसई के आदेश पर कार्य करने की उम्मीद की जाती है, जो व्यक्तिगत प्रथाओं से प्रभावित नहीं होते हैं। श्री सरीन जारी रख सकते थे या नहीं, इस मुद्दे से कोई फर्क नहीं पड़ सकता है, क्योंकि न्यायालय द्वारा दिए गए एक अंतरिम आदेश के माध्यम से उन्हें वास्तव में भाग लेने की अनुमति दी गई थी। उनकी उपस्थिति और उनका मतदान याचिकाकर्ता की मदद के लिए नहीं आया। तीसरे दस तक जीवित रहने वाले व्यक्ति के रूप में 9 वें प्रतिवादी की निरंतरता अकेले मुद्दा है। मुझे लगता है कि संबद्धता उपनियम 20(2) के अंतर्गत प्रबंध समिति की संरचना निम्नलिखित खंडों से की जाएगी-

(17) स्कूल प्रबंध समिति, इसका गठन, शक्ति और कार्य।

(2) (ख) खंड (क) में विनिर्दिष्ट सदस्यों की कुल संख्या के अधीन रहते हुए, प्रत्येक प्रबंध समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे, अर्थात:

(1) स्कूल के प्रमुख। वह स्कूल प्रबंध समिति के सदस्य सचिव होंगे;

(2) स्कूल में छात्रों के दो माता-पिता;

(3) स्कूलों के दो शिक्षक;

(4) दो अन्य व्यक्ति (जिनमें से एक महिला होगी); (क) क्या यह सच है कि कंपनी अधिनियम, 1956/बोर्ड की धारा 25 के अंतर्गत पंजीकृत ट्रस्ट/सोसायटी/कंपनी द्वारा नामित किए जाने वाले किसी अन्य स्कूल या किसी कॉलेज के शिक्षक हैं या रहे हैं;

(5) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत पंजीकृत ट्रस्ट/सोसिक्टी/कंपनी द्वारा अनुशंसित पैनल में से दो सदस्यों को बोर्ड द्वारा नामित किया जाएगा। यदि पैनल स्वीकार नहीं किया जाता है तो नए पैनल से पूछा जाए। अनुशंसित नाम सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल के रैंक से नीचे नहीं होने चाहिए।

(6) शेष सदस्यों को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत पंजीकृत सोसाइटी या ट्रस्ट या कंपनी के नियमों और विनियमों के अनुसार, जिसके द्वारा स्कूल चलाया जाता है, नामित या निर्वाचित किया जा सकता है।

(7) अनापत्ति प्रमाण पत्र में निर्धारित शर्तों, यदि कोई हो, के अनुसार दो से अधिक सदस्यों को नामित नहीं किया जा सकता है। बशर्ते कि उपरोक्त प्रावधानों को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा और जो पहले से संबद्ध हैं और उपरोक्त प्रावधानों का अनुपालन नहीं करते हैं, उन्हें एक वर्ष के भीतर उपयुक्त योग्य विकल्पों के साथ उपचारात्मक उपाय करने की आवश्यकता होगी।

(8) स्कूल में किसी भी हेड मास्टर/प्रिंसिपल की नियुक्ति नहीं की जाएगी जो स्कूल प्रबंध समिति के किसी भी सदस्य से संबंधित हो।

(9) इस नियम के प्रयोजन के लिए, संबंध में निम्नलिखित भाई, बहन, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, दामाद और बहू शामिल हैं।

बशर्ते कि नियमों का कोई भी उल्लंघन स्कूल की संबद्धता को समाप्त कर देगा।

(17) खंड 2 (i) स्कूल में छात्रों के दो प्रतिनिधियों के लिए प्रदान करता है। उपनियम 20 (3) में कहा गया है कि प्रबंध समिति के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा और एक सदस्य को दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से नामित किया जा सकता है। यह इस शर्त के अधीन है कि एक सदस्य लगातार दो कार्यकालों से अधिक कार्यालय में नहीं रह सकता है। एक अपवाद जो इसके भीतर आता है वह एक पदेन सदस्य और ट्रस्ट/सोसिक्टी/कंपनी का सदस्य है। प्रतिवादियों के उत्तर में यह पता चला है कि 9 वें प्रतिवादी ने प्रबंध समिति के सदस्य के रूप में पीटीए के निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में और बाद में प्रबंध समिति के नामिती के रूप में दो अलग-अलग क्षमताओं को पूरा किया है। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि एक पदेन सदस्य को छोड़कर दो वर्ष की अवधि के बाद पुन नामांकन कैसे संभव होगा। पीटीएएएस एसोसिएशन के माध्यम से नामित किए गए छात्रों के माता-पिता किसी भी पदेन क्षमता को उस तरीके से पूरा नहीं करते हैं जिस तरह से उप-नियम तैयार किए गए हैं। यह बहुत स्पष्ट नहीं है कि 9 वें प्रतिवादी का प्रबंध के रूप में जारी रहना कैसे है

समिति के सदस्य को दो वर्ष से अधिक की अवधि के लिए अनुमति दी गई थी लेकिन उनकी अनुपस्थिति से भी कोई फर्क नहीं पड़ सकता था, क्योंकि मैं किसी राहत के अभाव में कोई विशिष्ट निष्कर्ष नहीं दे रहा हूं। यदि यह माना जाए कि वह सदस्य नहीं थे, तो यह संख्या को 21 तक बहाल कर देगा (श्री सरीन को एक और रिट याचिका में इस अदालत के अंतरिम आदेश द्वारा बैठक में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी)। आक्षेपित प्रस्ताव के माध्यम से अंतिम मिलान से पता चलता है कि प्रस्ताव को 10 सदस्यों द्वारा समर्थित किया गया था और 8 द्वारा विरोध किया गया था। यहां तक कि अगर 9 वें प्रतिवादी के वोट को बाहर रखा जाना था, तब भी प्रस्ताव के खिलाफ वोटों पर प्रस्ताव के पक्ष में अधिक वोट होगा।

(18) यहां तक कि यह पता लगाने के अलावा कि हस्तक्षेप करना अनुचित होगा, मुझे यह भी पता चलेगा कि संबद्धता उप-कानून के नियम 44 में एक बड़ी शास्ति लगाने के लिए अनुशासनात्मक प्रक्रिया का प्रावधान है, जहां अनुशासनिक प्राधिकारी को उन आरोपों के आधार पर निश्चित आरोप लगाने की आवश्यकता होती है जिन पर जांच आयोजित करने का प्रस्ताव किया गया था और आरोपों की एक प्रति किसी कर्मचारी को उसके स्पष्टीकरण के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए। बचाव पक्ष का बयान प्राप्त होने पर, यदि अनुशासनिक प्राधिकारी स्वयं आरोपों की जांच करने के लिए सक्षम है जैसे कि वह एक जांच अधिकारी नियुक्त करना आवश्यक समझता है। जांच अधिकारी के गठन के निर्णय के लिए ही पूर्ण जांच की आवश्यकता नहीं होती है। यहां तक कि जांच के गठन के निर्णय की प्रक्रिया में अनियमितता भी जांच के परिणाम को अमान्य नहीं कर सकती है। यदि प्रबंध समिति मामले को जांच के लिए सौंपने के लिए सक्षम थी, तो मैं केवल यह पाऊंगा कि एक व्यक्ति के रूप में 9 वें प्रतिवादी की उपस्थिति, जिसे दो कार्यकाल की अवधि से आगे जारी रखने की अनुमति दी गई थी, को अनियमित माना जा सकता है, फिर भी बहुमत का निर्णय प्रबल होना चाहिए। यदि जांच के संचालन के तरीके में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का कोई उल्लंघन हुआ है जो याचिकाकर्ता को कार्रवाई का एक स्वतंत्र कारण दे सकता है, तो जांच रिपोर्ट की शुद्धता के लिए इस न्यायालय के समक्ष एक स्पष्ट कारण के लिए चुनौती नहीं दी गई है कि जांच रिपोर्ट को अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया है।

(19) मुझे कथित शरारत के लिए जांच के संविधान को रद्द करने का कोई कारण नहीं मिलता है, जिसे निर्णय के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है, विवाद की जड़ में नहीं जा सकता है कि याचिकाकर्ता कदाचार का दोषी था या नहीं। इसे केवल जांच रिपोर्ट के माध्यम से ही सामने लाया जा सकता है और चूंकि वह रिपोर्ट तैयार की गई है, इसलिए यह उचित ही है कि याचिकाकर्ता की आपत्ति को आगे बढ़ाया जाना चाहिए ताकि जांच रिपोर्ट को अनुमति देने के लिए जगह दी जा सके

रिहा किया जाए। यदि जांच रिपोर्ट याचिकाकर्ता के अनुकूल है और उसे आरोपों से बरी कर दिया गया है, तो इसे कानून के अनुसार आगे विचार के लिए अगले चरण में ले जाया जाएगा। यदि रिपोर्ट याचिकाकर्ता के प्रतिकूल है, तो उसके पास इसे चुनौती देने के लिए स्वतंत्र उपाय होगा।

(20) इसके परिणामस्वरूप रिट याचिका खारिज की जाती है। जांच रिपोर्ट को खोलने का निर्देश दिया जाता है। रजिस्ट्री जांच अधिकारी की रिपोर्ट खोलेगी और इसे रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएगी। जांच अधिकारी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार आगे की कार्रवाई करने के लिए प्रबंधन समिति के पास एक और प्रति रखने के लिए स्वतंत्र है।

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा |

जैस्मिन प्रीत कौर

प्रक्षिशु न्यायिक अधिकारी

सोनीपत
हरियाणा